152/2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....बालाखेड़ा..... दिनांक :- ..27/09/25

—:: आदेश ::—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....बालाखेड़ा..... व भू–अभिलेख निरीक्षक .....निम्बाहेड़ा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्वअधिनियन 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....उरतीया..... तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या .....64..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	उरतीया	64	शंकरी बाई पत्नी शेंकर-पजार शेष जमा- बरस्तूर	शंकरी बाई पत्नी शंकर जटिया शेष- जमा- बरस्तूर

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 152 दिनांक :- ..27/09/25

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, ...कपासन.....को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ...शंकरी बाई पत्नी शंकर जटिया..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़